

राजस्थान सरकार  
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांक: प0 1(3) संसद/95

जयपुर, दिनांक 07-2-2017

:: परिपत्र ::

विषय:- राजस्थान विधान सभा में राजकीय दीर्घा में उपस्थित रहने वाले अधिकारियों के लिए सामान्य निर्देश ।

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का अष्टम सत्र गुरुवार, दिनांक 23 फरवरी, 2017 से प्रारम्भ हो रहा है। ऐसा ध्यान में लाया गया है कि राजस्थान विधान सभा में राजकीय दीर्घा में उपस्थित अधिकारी सदन में उपस्थित रहते समय संसदीय प्रक्रिया नियमों की पालना नहीं करते हैं।

अतः सभी अधिकारियों से निवेदन है कि सत्र के दौरान उपस्थित रहते समय निम्न संसदीय प्रक्रिया नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें :-

1. सदन में राजकीय दीर्घा में प्रवेश करते समय या वहां से बाहर जाते समय और अपने स्थान पर बैठते समय या वहां से उठते समय प्रत्येक अधिकारी द्वारा अध्यक्षीय पीठ के प्रति नमन किया जाए।
2. विधान सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय के सदन में पधारने एवं वापस रवाना होने के समय पर भी जब सदन में सदस्यगण खड़े हों तो अधिकारियों को भी अध्यक्ष महोदय के सम्मानार्थ खड़े होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय जब सदन से बाहर जा रहे हों और उनके द्वारा सदन की स्थगन की कोई घोषणा की जा रही हो तो ऐसे अवसरों पर सदन के सदस्यगणों के अनुसार अधिकारियों को भी सम्मानार्थ खड़े होना चाहिए तथा अध्यक्ष महोदय के जाने के बाद ही उन्हें राजकीय दीर्घा छोड़नी चाहिए।
3. सदन में प्रश्नकाल के पश्चात् अथवा किन्हीं महत्वपूर्ण बिन्दुओं / विषयों से संबंधित प्रकरण पर जब अध्यक्ष महोदय सदन में खड़े होकर सम्बोधित कर रहे हों या व्यवस्था दी जा रही हो तो ऐसे अवसर पर जब तक सम्बोधन समाप्त न हो जाए या व्यवस्था पूरी न हो जाए तब तक राजकीय दीर्घा से उठकर नहीं जाएं। विधान सभा की यह परम्परा रही है कि जब आसन पैरों पर होता है अर्थात् अध्यक्ष महोदय खड़े होकर व्यवस्था दे रहे होते हैं तो अधिकारियों को जहाँ अपनी दीर्घा से उठकर नहीं जाना चाहिए, वहीं सदन में प्रवेश करने से पहले यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अध्यक्ष महोदय सदन में खड़े होकर सम्बोधित तो नहीं कर रहे हैं? ऐसे अवसर पर सदन में प्रवेश नहीं करना चाहिए।
4. राजकीय दीर्घा में उपस्थित अधिकारियों द्वारा आपस में चर्चाएँ अथवा अन्य ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जो अध्यक्ष महोदय अथवा अन्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने वाला हो।
5. कोई अधिकारी ऐसी कोई पुस्तक, समाचार पत्र या पत्रादि नहीं पढ़ेगा जिसका सदन की कार्यवाही से सम्बन्ध न हो।
6. सदन में धूम्रपान करना, पानी अथवा किसी पेय पदार्थ का उपयोग करना या कोई वस्तु/ सामग्री लाना या नींद लेना वर्जित है।

7. राजकीय दीर्घा में मोबाईल/पेजर ले जाना वर्जित है । पूर्व में भी माननीय अध्यक्ष महो० ने राजकीय दीर्घा में मोबाईल/पेजर बजने को लेकर गंभीरता से एतराज किया था, अतः सदन के अन्दर अधिकारी दीर्घा में बैठने वाले कोई अधिकारी मोबाईल/ पेजर न लेकर आवें, यदि कोई अधिकारी भूलवश मोबाईल/ पेजर साथ ले भी आते हैं तो उसे स्वीच ऑफ रखा जावे । यदि मोबाईल/पेजर बजता हुआ पाया गया तो विधान सभा सचिवालय द्वारा जब्त कर लिया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा ।

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के द्वितीय सत्र की बैठक दिनांक 31.07.2014 में कतिपय अधिकारियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों के बिन्दु सं. 2 एवं 3 की पालना नहीं किये जाने की स्थिति को शासन द्वारा उपयुक्त नहीं माना है साथ ही चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के चतुर्थ सत्र की बैठक दिनांक 20.03.2015 में कतिपय विभागों के अधिकारियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों के बिन्दु सं. 2 एवं 3 की पालना नहीं किये जाने की स्थिति को शासन द्वारा उपयुक्त नहीं माना है, एवं मा. अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा ने इसे गंभीरता से लिया है।

कृपया विधान सभा के सत्र के दौरान उपर्युक्त संसदीय प्रक्रिया नियमों की सख्ती से पालना करना सुनिश्चित करें एवं इस परिपत्र की पावती भी भिजवाएँ ।

*07.07.17*  
प्रमुख शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/

समस्त प्रमुख शासन सचिव, समस्त शासन सचिव/

समस्त विशिष्ट शासन सचिव

**प्रतिलिपि निर्णांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-**

1. प्रमुख सचिव/ सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा० राज्य मंत्री/मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
4. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मा० मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली ।

*07-07-2017*  
शासन उप सचिव